

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 488]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 14, शक 1938

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-1-37-2011-स्था.-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग अभियांत्रिकी तथा वास्तुकला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-दो में,—

1. कॉलम (7) में, सहायक यंत्री(वि./यां.) पद के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“लोक निर्माण विभाग	सहायक यंत्री (वि./यां.)	108	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	1. पदोन्नति द्वारा 33 प्रतिशत इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रानिक्स या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा रखने वाले उप-यंत्रियों में से. टिप्पणी.—परन्तु यह कि वे व्यक्ति जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ पूर्व में नियुक्त हुए हों, वे भी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे. 2.पदोन्नति द्वारा 13 प्रतिशत इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रानिक्स या इलेक्ट्रिकल में उपाधि रखने वाले उप-यंत्रियों में से. टिप्पणी.—परन्तु यह कि वे व्यक्ति जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ पूर्व में नियुक्त हुए हों, वे भी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे. 3. मुख्य मानचित्रकार/मानचित्रकार संवर्ग सुसंगत संवर्ग से 4 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाएं.”

2. कॉलम (7) में, "सहायक वास्तुविद" पद के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"लोक निर्माण विभाग	सहायक वास्तुविद	5	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन वास्तुविद के रूप में पंजीकृत लोक सेवक केवल सहायक वास्तुविद के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र होगा."

F. 1-37-2011-Estt.XIX.— IN EXERCISE of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Works Engineering and Architecture (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2015, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in Schedule-II,—

- (1) Against the post "Assistant Engineer (E/M)", in column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"Public Works Department	Assistant Engineer (E/M)	108	50%	50%	-	1. 33% by promotion from Sub-Engineers having Diploma in Electrical or Electrical and Electronics. Note—Provided that the persons who have already been appointed with diploma in Mechanical Engineering shall also be eligible for the promotion. 2. 13% by promotion from Sub-Engineers having Degree in Electrical or Electrical and Electronics. Note—Provided that the persons who have already been appointed with diploma in Mechanical Engineering shall also be eligible for the promotion. 3. 4% by promotion from the cadre of Head Draftsman/ Draftsman of relevant cadre."

- (2) Against the post "Assistant Architect", in column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"Public Works Department	Assistant Architect	5	50%	50%	-	For promotion to the post of Assistant Architect, Public Servants registered as Architects under the Architect Act, 1972 shall only be eligible."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रप्रकाश अग्रवाल, सचिव.